

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र  
Regional Office, Western Region  
E-3/240, अरेरा कालोनी Arera Colony  
भोपाल Bhopal-462016 (म. प्र.) M. P.  
तार/Telegram : CENTFOREST  
दूरभाष/Phone : 566525, 563102  
565496, 565054  
Tele Fax : 0755-563102  
दिनांक 8/11/99

क्रमांक : 8वी/107/99-एफसीडब्ल्यू/2517

प्रति,

प्रमुख सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
वन विभाग,  
वल्सभ भवन, भोपाल ।

विषय : शाजापुर जिले के शाजापुर वनमण्डल में गैस अर्थोरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा वाटर पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.620 है0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन ।

महोदय,

कृपया मध्यप्रदेश सरकार के उक्त विषयक पत्रांक एफ-5/21/99/10/3 दिनांक 17.6.99 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

राज्य शासन के प्रस्ताव पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् केन्द्र सरकार की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा शाजापुर जिले में गैस अर्थोरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा वाटर पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.620 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव पर एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों पर सिद्धान्तात् सहमति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के अन्तर्गत इस आदेश के जारी होने की तिथि के दो वर्ष के अन्दर उपयोगकर्ता के खर्च पर किसी उपयुक्त क्षेत्र में कम से कम 1550 वृक्ष लगाये जायेंगे एवं उनकी सुरक्षा तथा रख-रखाव भी प्रत्यावर्तित वनभूमि के उपयोगकर्ता के खर्च पर किया जायेगा ।
3. उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी की दर से क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके ।
4. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
5. राज्य सरकार द्वारा लैगैड गैस अन्य कोई भी शर्त

4495

26-11-99

राज्य सरकार द्वारा शर्त संख्या 3 की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्य सरकार इस वनभूमि के अनुरोध पर, निम्नलिखित शर्तों पर इस भूमि का उपयोग शुरू करने के लिए, जोर देकर कहती है ।

महोदय,


सूचना

(एसओपीओ यादव)

उप वन संरक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110 003.
2. मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं मंडल अधिकारी, न०५० वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमंडलाधिकारी, राजापुर वनमंडल, राजापुर (न०५०)
4. उप महाप्रबंधक, गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, उज्जैन(न०५०) ।
5. आदेश पत्रावली ।

 17.11.99

(एसओपीओ यादव)

उप वन संरक्षक (केंद्रीय)